Title:Regarding notices of the High Court for the payment of dues against the former Prime Ministers and Defence Minister for using Defence Aircrafts.

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य खुद पीठासीन अधिकारी भी है और वह खुद यहां अनुशासन नहीं रखते है, हमें क्या अनुशासन सिखायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सेना, वायु सेना और विभिन्न विभागों की बहुत बड़ी धनराशि इस देश के चार पूर्व प्रधान मंत्रियों और पूर्व रक्षा मंत्री के ऊपर बकाया है।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको मैटर रेज करने की अनुमति दी।

Shri Ram Prasad Singh, please take your seat.

आपने जीरो आवर में मामला उठा दिया है और आपको क्या चाहिए।

श्री राम प्रसाद सिंह : सर, इस बारे में प्रधान मंत्री जी जवाब दें ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except what Yogi Aditya Nath says.

(Interruptions)*

१२.३३ म.प.

(इस समय श्री मौहम्मद अनवारुल हक और कुछ अन्य माननीय सदस्य

सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।)

योगी आदित्यनाथ : इसमें एक पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी हैं जिन पर २६ करोड़ ४६ लाख रुपये, श्री नरसिंहराव पर पांच करोड़ ५२ लाख रुपये, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी पर एक करोड़ ८६ लाख रुपये, श्री चंद्रशेखर जी पर पांच करोड़ ९२ लाख रुपये बकाया है।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are a new Member. Please go back to your seat.

योगी आदित्यनाथ : पूर्व रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सेना और वायु सेना के विमानों का इस्तेमाल किया था।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीटों पर जाइये, जीरो आवर में इस तरह से नहीं होता है। आप अपनी सीटों पर जाइये।

***Not Recorded.**

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : इन्होंने इन विमानों से ३०७ यात्राएं की थीं जिनमें से २४ निजी यात्राएं थीं और आज भी उन पर ४१ करोड़ रुपया सेना और वायु सेना का बकाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ अगर किसान पर पांच सौ रुपये राजस्व का बकाया रहता है तो उस किसान को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है, उसके घर की कुर्की कर दी जाती है। वहीं इस देश के चार पूर्व प्रधान मंत्रियों और रक्षा मंत्री पर भारत सरकार का करोड़ों रुपया बकाया है

... (व्यवधान)
लेकिन इस बारे में अभी तक कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई है।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगहों पर जाइये, नहीं तो आपके बारे में सोचना पड़ेगा। आपने मैंने बोलने का टाइम दिया और आपने जीरो आवर में मामला उठाया है, अब आप अपनी जगहों पर जाइये। आप नये मैम्बर हैं, आपके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। आप अपनी जगह पर जाइये। रघुवंश जी, आप अपने मैम्बर्स को अपनी जगह पर जाने के लिए कहिये। देखिये मैंने आपको यह मैटर उठाने की इजाजत दी है, इसका मतलब यह नहीं है कि नये मैम्बर्स यहां आकर खड़े हो जाएं। जीरो आवर में आप मामला उठा सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि गवर्नमैंट हर चीज पर रीएक्ट करे। आप अपने मैम्बर्स को बोलिये कि वे अपनी जगहों पर बैठें। जीरो आवर इसी तरह से होगा तो इसको डिस्पैन्स करना पड़ेगा। रघुवंश जी, आप अपने मैम्बर्स को अपनी जगहों पर जाने के लिए बोलिये।

Hon. Members, I seek your cooperation. There is a limit for everything. Please go back to your seats.

... (Interruptions)

१२.३५ बजे

(इस समय श्री मौहम्मद अनवारुल हक तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य

अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप सीनियर मैम्बर हैं, आपको मालूम है कि जीरो आवर में जो मैटर उठाया जाता है उसके ऊपर हम सरकार को रिएक्ट करने के लिए डायरैक्ट नहीं कर सकते, कंपैल नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट यदि रिएक्ट करना चाहे, तो कर सकती है।

... (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उसकी जांच करा लीजिए।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Prabhunath Singh, please cooperate with me.

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान जनहित से जुड़े हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें हाईकोर्ट ने इस देश के पूर्व रक्षा मंत्री तथा ४ पूर्व प्रधान मंत्रियों के ऊपर सेना और वायुसेना की बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो इस देश के गरीब किसान पर यदि ५०० रुपए बकाया होते हैं तो राजस्व वसूली के समय उसे जेल की सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के ऊंचे पदों पर आरूढ़ रहे व्यक्तियों से वसूली नहीं हो, यह कैसा न्याय है? मैं हाईकोर्ट के नोटिस के आधार पर आपके माध्यम से सदन में यह जानकारी देना चाहता हूं कि पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवेगौडा पर २६ करोड़ ४६ लाख रुपए, स्व.राजीव गांधी जी पर १ करोड़ ८६ लाख रुपए, नरसिंहराव जी पर ५ करोड़ ५२ लाख रुपए, चन्द्र शेखर जी पर ५ करोड़ ९२ लाख रुपए बाकी हैं। पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ३६० यात्राएं की थीं जिनमें से २४ उनकी निजी यात्राएं थीं और उनके ऊपर ४१ करोड़ रुपए बकाया हैं।

महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश में दोहरे मानदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं- ५०० रुपए की राजस्व वसूली में क्यों गरीब किसान को सीखचों के पीछे खड़ा कर दिया जाता है और क्यों बड़े लोगों पर करोड़ों रुपए बकाया होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है? हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। इस रकम की वसूली होनी चाहिए।

... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ जी, आप तो नए मैम्बर नहीं हैं। आप तो सीनियर मैम्बर हैं। आपको तो मालूम है कि जो कुछ आपने यहां हाऊस में कहा है, उसको आपको औथैंटिकेट करना होगा, अन्यथा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या आपने जो यहां आंकड़े बताए हैं, उन्हें आप औथैंटिकेट करने के लिए तैयार हैं?

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े मेरे अपने मन के नहीं हैं। ये तो वे आंकड़े तो हाईकोर्ट के नोटिस में दर्शाए गए हैं। इनको मैं औथैंटिकेट करने के लिए तैयार हूं।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी नोटिस देता हूं कि ...

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप भी नोटिस दे दीजिए।

... (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, यह देश भर के समाचार पत्रों में छपा है। हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है, इससे कौन इन्कार कर सकता है। मैं जो सदन में बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं।

... (व्यवधान)
हम उसके लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वह पैसा वसूल होना चाहिए। वह धन सरकारी खजाने में जमा होना चाहिए।

... (व्यवधान)
देश के किसानों के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ जी, आप एक ही मामला उठा सकते हैं, दूसरा नहीं।

योगी आदित्यनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही मामला उठा रहा हूं, दूसरा नहीं। यह जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। यह पैसा वसूल होना चाहिए।

... (व्यवधान)

SHRI A.C. JOS (TRICHUR): Sir, it now seems that anything can be mentioned during the `Zero Hour''. It has become something like Matters Under Rule 377.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is why I am trying to conduct it properly.

... (Interruptions)